पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

अपराधिक विविध वाद संख्या 18263/2023

थाना कांड संख्या-139 वर्ष-2021 थाना-हसनगंज जिला-कटिहार

==

अनूप लाल सोरेन @अनूप लाल सूरेन पिता लखी सोरेन, गाँव-चरखी नारायणपुर, भटवाड़ा, थाना- कोरहा, जिला-कटिहार

.... याचिकाकर्त

बनाम

1. बिहार राज्य
2. पुष्पा मुर्मू, पिता ताला मुर्मू, गांव-पिपरा, भटवाड़ा, पी. एस.-हसनगंज, जिला-कटिहार, वर्तमान में पति बाबूजी मरांडी, निवास नर्स छात्रावास, के. एम. सी. एच., करीम बाग, थाना-कटिहार मुफस्सिल, जिला-कटिहार, पिन कोड-854109

.... विपरीत दल

==

उपस्थिती

याचिकाकर्ता के लिएः मा० मनीषा प्रकाश, अधिवक्ता

विरोधी पक्षकार के लिएः मा० अरुण कुमार पांडे, अतिरिक्त लोक अभियोजक

==

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 – धारा 482 – संज्ञान वाले आदेश को अभिखंडित करना जिसमें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 376 में संज्ञान लिया गया – कोई भी अभिकथन यह परिणाम/प्रमाणित करता है कि संबंध के शुरूआत से शादी का वचन गलत दिया गया था विपक्षी संख्या 2 को – विपक्षी संख्या 2, दस साल तक याचिकाकर्त्ता के साथ संबंध में थी – दोनों, याचिकाकर्ता और विपक्षी संख्या 2 वयस्क थे जब संबंध शुरू हुआ था दोनों के बीच जब संबंध अच्छे से नहीं चल पाए तो यह कोई आधार नहीं है परिवाद मामला दाखिल करने का याचिकाकर्त्ता के विरूध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 में संज्ञान आदेश को अभिखंडित किया जाता है – आवेदन अनुज्ञात किया गया – (पारा 6, 8 और 9)

(2019) 9 एस.सी.सी 608 – निर्भर किया गया।

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==

समक्षः-माननीय न्यायमूर्ति प्रभात कुमार सिंह

मौखिक निर्णय

तारीखः15-04-2024

यह आवेदन 2021 के हसनगंज पुलिस स्टेशन केस नंबर 139/2021 के जीआर केस नंबर 5094 में पारित 5.12.2022 के आदेश को रद्द करने के लिए दायर किया गया है, जिसके तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत दंडनीय अपराध के लिए संज्ञान लिया गया है।

2. अभियोजन पक्ष के मामले के साथ-साथ विपक्षाी पक्ष संख्या 2 के 164 सी आर पीसी बयान के अनुसार, विपक्षाी पक्ष संख्या 2 और याचिकाकर्ता के बीच पिछले 10 वर्षों से प्रेम संबंध था, जिसके परिणामस्वरूप बहुत करीबी दोस्ती हुई जो शादी तक पहुंची लेकिन इसे पूरा नहीं किया जा सका और याचिकाकर्ता द्वारा कई अवसरों पर उसके साथ शारीरिक हमला किया गया। आगे यह आरोप लगाया जाता है कि वह गर्भवती हो गई थी भ्रूण जिसे समाप्त कर दिया गया था, जब आरोपी रेलवे में सेवा में शामिल हुआ, तो उसने उससे शादी करने से इनकार कर दिया।

3. आरोपों को नकारते हुए, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता निर्दोष है, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है और झूठे और मनगढ़ंत आरोपों पर इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। विपरीत पक्ष सं 2 को ए. एन. एम. (सहायक नर्स मिडवाइफ) के रूप में नियुक्त किया गया था और 2010 से कटिहार मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में तैनात थी। याचिकाकर्ता जो भारतीय रेल विभाग में सरकारी सेवा में है और बरौनी में लोको पायलट गुड्स के रूप में तैनात है। वर्तमान मामला कटिहार सिविल कोर्ट के अधिवक्ता कबीरलाल मंडल के उकसावे पर दर्ज किया गया है। यह तथ्य पुलिस अधीक्षक के साथ-साथ डिप्टी कमिश्नर की पर्यवेक्षण रिपोर्ट में भी

आया है। पुलिस अधीक्षक, कटिहार, उन्होंने उस मामले को स्वीकार किया था, वकील के कहने पर दर्ज किया गया है। विपक्षी सं 2 पेशे से नर्स है और जब मामले के जांच अधिकारी ने चिकित्सीय जाँच करने का अनुरोध किया तो उसने डॉक्टरों द्वारा उसकी चिकित्सकीय जांच कराने से इनकार कर दिया।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि पक्षों के बीच प्रेम संबंध था और सूचना देने वाले/विरोधी पक्ष 2 की सहमति से याचिकाकर्ता ने 10 साल के लिए शारीरिक संबंध स्थापित किए। वे दोनों काफी समय से यौन गतिविधि में लगे हुए थे जिसे प्रेरित और अनैच्छिक नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रलोभन और बलात्कार का आरोप नहीं लगाया जा सकता है और ऐसी परिस्थितियों में आपराधिक कार्यवाही जारी रखना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

5. दूसरी ओर, राज्य की ओर से विद्वान ए. पी. पी. ने याचिकाकर्ता की ओर से दी गई दलीलों का विरोध किया है। वह प्रस्तुत करता है कि याचिकाकर्ता का नाम प्राथमिकी में विशिष्ट आरोप के साथ है कि उसने 10 साल तक पीड़िता के साथ बलात्कार किया और फिर शादी करने से इनकार कर दिया। एफ. आई. आर. के अवलोकन से यह पता चलता है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ रिकॉर्ड में पर्याप्त सामग्री है और यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रथम दृष्टया इन याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। इसलिए, इस अदालत द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

6. पक्षों की ओर से विद्वानों की सलाह सुनी और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया। हालाँकि, कोई भी विरोधी पक्ष के लिए उपस्थित नहीं होता है। विरोधी पक्ष 2 सूचना की वैध सेवा के बावजूद शिकायत के अवलोकन पर, यह पता चलता है कि इस आशय का कोई आरोप नहीं है कि शादी का वादा विरोधी पक्ष को नहीं दिया गया है। 2 संबंध की शुरुआत में ही गलत था। इसके विपरीत, शिकायत की सामग्री से यह प्रतीत होता है कि

याचिकाकर्ता की ओर से बाद में विपक्षी सं. 2.वर्तमान शिकायत अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। यह अभियोजन पक्ष का स्वीकृत मामला है कि विपक्षी संख्या 2 याचिकाकर्ता के साथ दस साल की अवधि के लिए संबंध में था। यह भी स्वीकार किया जाता है कि जब रिश्ता शुरू हुआ तो दोनों बड़े थे। विपक्षी सं. 2 याचिकाकर्ता के साथ स्वेच्छा से रह रहा था और उसका संबंध था। अब, यदि संबंध काम नहीं कर रहा है, तो यह याचिकाकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 के तहत दंडनीय अपराध के लिए शिकायत दर्ज करने का आधार नहीं हो सकता है।

7. इसी तरह की स्थिति से निपटने के दौरान, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **(2019) 9 एस. सी. सी. 608** में रिपोर्ट किए गए **प्रमोद सूर्यभान पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य** के मामले में कहा है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ शिकायतकर्ता द्वारा शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही पूरी तरह से अनुचित है। माननीय न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की हैः-

"जहाँ शादी करने का वादा झूठा है और वादा करते समय निर्माता का इरादा इसका पालन करने का नहीं था, बल्कि महिला को यौन संबंधों में शामिल होने के लिए मनाने के लिए धोखा देना था, वहाँ एक "तथ्य की गलत धारणा" है जो महिला की "सहमति" को दूषित करती है। दूसरी ओर, वादे का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है।

> "एक झूठा वादा होना। एक झूठा वादा स्थापित करने के लिए, वादा करने वाले को उसे देते समय अपने वादे को बनाए रखने का कोई इरादा नहीं होना चाहिए था।"

8. पूर्वगामी चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, 2021 के हसनगंज पुलिस स्टेशन केस नंबर 139/2021 के जी. आर. केस नंबर 5094 में पारित 5.12.2022 का आदेश, इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है।

9. तदनुसार, वर्तमान रद्द करने वाले आवेदन की स्वीकृत है।

(प्रभात कुमार सिंह, न्यायाधीश)

शशि

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।